भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1998

31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

अवैध रेत खनन

1998. श्री संजय सिंहः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में रेत खनन की व्यापक अवैध गतिविधियों से अवगत है, जिसके कारण बहुत से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 2014 से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की अब तक हुई मृत्यु का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान एवं कोयला राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3(ड.) के तहत यथा परिभाषित बालू एक गौण खनिज है, । एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 में राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन और इनसे जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों के पास अवैध खनन को रोकने और इससे जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने के पूरे अधिकार हैं । बालू खनन का प्रशासन एक ऐसा विषय है जो कि पूर्णत: संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । अत: सरकारी अधिकारियों/कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमले/मृत्यु से संबंधित आंकड़ों को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****